supply in the entire Uttar Pradesh in general and in the eastern districts of the State in particular;

(b) the action taken by Government in this regard; and

(c) whether the supply pisiton is satisfactory at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Against an allocataion of 4,37,600 tonnes of cement made for the quarter April-June, 1980, a quantity of 3,84,205 tonnes of cement was despatched to the State of Uttar Pradesh upto 15-6-1980.

**सीमा सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षकों (आपरेटरों) को विशेष वेतन**

4395. **श्री दौलत राम सारण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 के नये वेतनमान के अनुसार सीमा सुरक्षा बल के सहायक उप-निरीक्षक (आपरेटरों) को विशेष वेतन दिया गया था लेकिन रेडियो मैकेनिक सहायक उप-निरीक्षकों को नहीं दिया गया;

(ख) क्या सहायक उप-निरीक्षक आपरेटरों को विशेष वेतन 1974 से 1976 तक दिया गया था लेकिन उसके बाद बन्द कर दिया गया और विशेष वेतन के रूप में उन्हें दी गई राशि उनसे वापस ली गई और क्या जिन रेडियो मैकेनिक सहायक उप-निरीक्षक को पहले विशेष वेतन नहीं दिया गया था उन्हें यह विशेष वेतन मिलने लगा और यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या आपरेटरों के दो निचले रैंक (नायक, हैड कांस्टेबल) है और दो रैंक (उप-निरीक्षक और निरीक्षक) सहायक उप-निरीक्षकों से ऊपर है और क्या ऊंचे और निचले दोनों रैंकों के व्यक्तियों को यह विशेष वेतन मिल रहा है लेकिन वे केवल रेडियो मैकेनिक सहायक उप-निरीक्षकों को ही यह विशेष वेतन नहीं दिया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस असंगति को दूर करेगी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सहायक उप निरीक्षकों (आपरेटरो) को दिया गया विशेष वेतन वाजिब नही पाया गया था। इसलिए सहायक उप-निरीक्षकों को भुगतान किये गये विशेष वेतन की वसूली की गई थी। सहायक उप-निरीक्षक (आपरेटर) का संशोधित पूर्व वेतनमान (125-155 रु0 माहवार और विशेष वेतन 40 रु0 माहवार) सहायक उप-निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) ग्रेड-II के वेतनमान (150-320 रु0) से कम था। 1-1-1973 से दोनों श्रेणियों के वेतनमान संशोधित करके समान वेतनमान (330-480 रु0) किया गया। सहायक उपनिरीक्षक (आपरेटर) की तुलना में सहायक उपनिरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) के हित में कुछ अन्तर रखना वांछनीय समझा गया था। इसलिए सहायक उपनिरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) ग्रेड-II को 1-1-1973 से विशेष वेतन दिया गया था।

(ग) नायक तथा हैडकांन्सटेबल का पद सहायक उपनिरीक्षक के पद से दो श्रेणी नीचे है और उप निरीक्षक तथा निरीक्षक का पद सहायक उप-निरीक्षक के पद से दो श्रेणी ऊपर है। नायक (संचार) हैड कांस्टेबल (आपरेटर) उप-निरीक्षक (आपरेटर) तथा निरीक्षक (संचार) को विशेष वेतन मिलता है। सहायक उप-निरीक्षक (आपरेटर) को विशेष वेतन नही दिया जाता है जैसा कि उपर्युक्त (ख) में स्पष्ट किया गया है सहायक उप-निरीक्षक (आपरेटर) को विशेष वेतन देने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## Allegations against Chief Executive of N.I.D.C.

4396. SHRI K. A. RAJAN:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether work load of the National Industrial Development Corporation Ltd. is touching the bottom of the scale whereas other sister consultancy organisations like Engineers India Ltd., MECON etc. have begged prestigious contracts for consultancy assignments both in India and abroad;

(b) whether it is a fact that the Chief Executive of NIDC goes on foreign tours through the auspices of Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE) and National Associa-

tion of Consulting Engineers (NACE) in his capacity as Chairman/President thereof; and

(c) if so, the number of foreign tours undertaken by the Chief Executive of NIDC during the last three years during which the NIDC has suffered heavy losses, whether on NIDC account or otherwise and the outcome of each tour?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) It would not be appropriate to compare the different consultancy organisations operating in different fields and set up under different circumstances.

The turnover of the Corporation in respect of consultancy services rendered by it during the last three years during 31st March, 1980, has been as under:—

| Year | Turnover | Foreign exchange earnings |
|---|---|---|
| | (Rs. in | lakhs) |
| 1977-78 . . . | 76·69 | 23 96 |
| 1978-79 . . . | 116·00 | 64·79 |
| 1979-80 . . . | 124·00 | 75 00 |
| | (Provisional) | (Estimated) |

(b) and (c). A statement giving details required is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1094/80].

## Allocation of Cement

4397. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) allocation of cement to West Bengal, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu and Andhra Pradesh States in the first and second quarters, separately, of 1980; and



(b) what is the basis of allocation of cement quota?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHANANA): (a) and (b). The States are given allocataions every quarter on the norms of past consumption and over all availability of cement. Allocation of cement made in the States of West Bengal, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu and Andhra Pradesh during the first two quarters of 1980 is indicated below:

(Quantity in tonnes)

| Name of the State | IST Quarter (Jan-Mar. 80) | IIND Quarter (April-June) |
|---|---|---|
| West Bengal . . | 2,86,000 | 2,98,000 |
| Maharashtra . . | 5,00,600 | 5,22,600 |
| Gujarat . . . | 3,91,000 | 3,30,000 |
| Tamil Nadu . . | 3,60,550 | 4,17,100 |
| Andhra Pradesh . | 3,33,600 | 4,04,600 |

## गैर कानूनी ढंग से हुसैनीवाला सीमा पार करना

4398. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या गृह मंत्री यह बत.ने की कृप। करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से मई, 1980 के दौरान गैर-कानूनी ढंग से सीमा पार करते हुए और पाकिस्तान में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए हुसैनीवाला सीमा पार कितने लोग पकड़े गए; और

(ख) क्या ऐसी घटनायें अन्य भारत पाक सीमाओं पर भी होती हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) 15 (पन्द्रह) ।